"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2007—कार्तिक 18, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-3-7/2005/1/एक.—निम्नलिखित माननीय विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. श्री संजीव शाह
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्रीमती रमशीला साहू

हस्ता./-
(डॉ. रमन सिंह)
मुख्यमंत्री.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-3-7/2005/1/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-7/2005/1/एक, दिनांक 10 जुलाई, 2007 के अनुक्रम में संसदीय सचिवों को निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है :—

स. क्र. (1)	संसदीय सचिव का नाम (2)	मान. मंत्री जिनके साथ संबद्ध किया गया है (3)
1.	श्री संजीव शाह	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण, ऊर्जा, जनसम्पर्क, विमानन, खनिज साधन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायो टेक्नोलॉजी.
2.	श्री देवलाल दुग्गा	श्री मेघाराम साहू, मंत्री कृषि, पशुपालन, मछलीपालन
3.	श्री त्रिविक्रम भोई	श्री अजय चंद्राकर, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, स्कूल शिक्षा
4.	डॉ. सुभाऊ कश्यप	श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम
5.	श्रीमती रमशीला साहू	सुश्री लता उसेण्डी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, 20 सूत्र कार्यान्वयन

2. अन्य संसदीय सचिवों का कार्य पूर्ववत् रहेगा.

हस्ता./-
(डॉ. रमन सिंह)
मुख्यमंत्री.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्रमांक 839/847/2007/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी (राप्रसे), उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-10-2007 से 18-10-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अर्जित अवकाश की अवधि में इनका कार्य श्री व्ही. के. राय, उप-सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग देखेंगे.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेयी (राप्रसे), को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-3-7/2005/1/एक.—छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त निम्नलिखित संसदीय सचिवों ने आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 को पूर्वान्ह में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये :—

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. श्री संजीव शाह
3. डॉ. सुभाऊ कश्यप
4. श्रीमती रमशीला साहू

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 7 के खण्ड (क) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"सीधी भरती द्वारा संविदा नियुक्ति के लिये उच्चतर आयु सीमा 65 वर्ष होगी."

Sl. No. F 9-1/2004/1/3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida) Niyukti Niyam, 2004, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

For clause (a) rule 7, the following shall be substituted :—

"Upper Age Limits for contract appointment by direct recruitment shall be 65 years."

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 7-5/2004/1/6.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 मई, 2004 के द्वारा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. इसी अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रेणुका सिंह, विधायक, प्रेम नगर को उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 04-10-2007 से 12-10-2007 (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 05-11-2007 से 16-11-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 04, 17 एवं 18 नवम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/45/200[illegible]/1/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 22-10-2007 से 27-10-2007 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पिंगुआ के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, आदिमजाति तथा अ. जा. विकास एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

6. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 16-10-2007 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/9/2006/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से., तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा, जिला दुर्ग को दिनांक 14-05-2007 से 16-05-2007 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री कटारिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कटारिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2007

क्रमांक 4262/1949/2007/1/2.—श्री पी. रमेश कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 22-10-2007 से 25-10-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के स्थानीय/शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. रमेश कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पी. रमेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-10-2007 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं पदेन सचिव, छ. ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 26-10-2007 से 31-10-2007 तक (06 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29-10-2007 से 31-10-2007 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-10-2007 एवं 01-11-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7-48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर को दिनांक 22-10-2007 से 25-10-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक 781/775/2007/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, तत्का. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5-9-2007 से 22-9-2007 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

क्रमांक 843/837/2007/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 3-10-2007 से 19-10-2007 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक 845/862/2007/1-8/स्था.—श्री बिक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 22-10-2007 से 30-10-2007 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20 एवं 21-10-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विक्रम सिंह सिसोदिया को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विक्रम सिंह सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक 9533/2007/25-3/आजाक.—संयुक्त संसदीय समिति राज्य सभा, नई दिल्ली द्वारा बैठक दिनांक 29-9-07 में दिए गए निर्देशानुसार एवं वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 4 के प्रावधानानुसार पूर्व सर्वेक्षण के 20 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य शासन, एतद्द्वारा, वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, छत्तीसगढ़, रायपुर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 1-8/2007/11-6.—इस विभाग द्वारा जिला व्यापार उद्योग केन्द्रों, दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर एवं रायगढ़ में महाप्रबंधक के स्थान पर मुख्य महाप्रबंधक को कार्यालय प्रमुख घोषित किये जाने संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 31-07-2007 के तारतम्य में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी, 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए "महाप्रबंधक" के स्थान पर "मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-60/2007/16.—छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 6 तथा धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की उक्त धारा में अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी हेतु प्रकाशित करती है तथा एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 6 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात् :—

अनुसूची "क"

अनुसूची "ख" तथा "ग" में विनिर्दिष्ट कारखानों के सिवाय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 ङ (एक) में यथा परिभाषित

कारखानों तथा धारा 85 के अधीन यथा अधिसूचित कारखानों की अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

किसी भी दिन अधिष्ठापित अधिकतम अश्वशक्ति की मात्रा	धारा 85 के अधीन पंजीकृत 9 कर्मकार तक	वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या										
		10 से 20 तक	21 से 50 तक	51 से 100 तक	101 से 250 तक	251 से 500 तक	501 से 750 तक	751 से 1000 तक	1001 से 1500 तक	1501 से 2000 तक	2001 से 5000 तक	5000 से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. शून्य से अधिक हो किन्तु 10 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	500	800	1200	1700	2000	4000	6000	6800	10000	13500	15000	20000
2. 10 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 20 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	700	1200	1700	2500	3400	5000	6800	8500	13500	15000	20000	25000
3. 20 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 50 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	800	1700	2500	3400	5000	6800	8500	12000	15000	20000	25000	30000
4. 50 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 100 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	1400	3400	5000	6800	8500	10000	12000	16000	20000	25000	30000	34000
5. 100 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 250 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	1700	5000	6800	8500	10000	12000	16000	20000	25000	30000	34000	37000
6. 250 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 500 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	2500	6800	8500	10000	12000	15000	20000	25000	30000	34000	37000	42000
7. 500 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 750 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	3400	8500	10000	12000	15000	20000	25000	27000	34000	37000	42000	44000
8. 750 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 1000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	4000	10000	13500	15000	20000	22000	27000	30000	37000	40000	44000	47000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9. 1000 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 2000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	8500	12000	15000	20000	24000	27000	30000	34000	40000	44000	47000	50000
10. 2000 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 3000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	12000	14000	20000	24000	30000	37000	44000	50000	57000	64000	71000	78000
11. 3000 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 4000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	15000	20000	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000
12. 4000 अश्वशक्ति से अधिक हो किंतु 5000 अश्वशक्ति से अधिक न हो.	20000	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000	88000
13. 5000 अश्वशक्ति से अधिक हो.	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000	88000	95000

अनुसूची "ख"

अनुसूची "क" तथा "ग" में विनिर्दिष्ट कारखानों के सिवाय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 ङ (दो) में यथा परिभाषित कारखानों की अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या (1)	देय शुल्क रुपये (2)
20 तक	500
21 से 50 तक	800
51 से 100 तक	1400
101 से 250 तक	1700
251 से 500 तक	3400
501 से 1000 तक	8500
1001 से 1500 तक	11800
1501 से 2000 तक	13500
2000 से अधिक	17000

अनुसूची "ग"

समस्त विद्युत उत्पादन (रूपान्तरण केन्द्रों को सम्मिलित कर) कारखानों द्वारा अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए देय शुल्क का मान :—

अनु-क्रमांक	मेगावाट (एम. डब्ल्यू.) में कुल अधिष्ठापित क्षमता (रूपान्तरण केन्द्रों को सम्मिलित कर)	वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या				
		100 कर्मकारों तक	101 कर्मकारों से 250 कर्मकारों तक	251 कर्मकारों से 500 कर्मकारों तक	501 कर्मकारों से 1000 कर्मकारों तक	1000 कर्मकारों से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20 मेगावाट तक	17000	20000	24000	27000	30000
2.	20 मेगावाट से अधिक किंतु 50 मेगावाट से कम.	20000	24000	27000	30000	34000
3.	50 मेगावाट से अधिक किंतु 100 मेगावाट से कम.	24000	27000	30000	34000	37000
4.	100 मेगावाट से अधिक किंतु 250 मेगावाट से कम.	27000	30000	34000	37000	41000
5.	250 मेगावाट से अधिक किंतु 500 मेगावाट से कम.	30000	34000	37000	41000	44000
6.	500 मेगावाट से अधिक किंतु 1000 मेगावाट से कम.	34000	37000	41000	44000	47000
7.	1000 मेगावाट से अधिक	41000	44000	47000	51000	54000

(2) कारखानों के विभिन्न श्रेणी के लिए अनुसूची "क", "ख", "ग" में विहित शुल्क 1 जनवरी, 2008 से प्रभावशील होगी तथा प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात् देय शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसे निकटतम 100 के गुणांक में लिया जावेगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 285/15466/बी-1/चार/2007, दिनांक 30-08-2007 के अनुसार दी जाती है.

Raipur, the 2nd November 2007

No. F 1-60/2007/16.—The following draft of amendments in the Chhattisgarh Factories Rules 1962, which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by section 6 and 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), is published as required by said section of the said act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of fourty five days from the date of Publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

AMENDMENT

In the said rules :—

For the Schedule in Rule 6, the following Schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE "A"

Scale of fee payable for registration or renewal of the licence for Factories as may be defined in Section 2m (i) as notified under Section 85 of the Factories Act, 1948 except the Factories specified in the Schedule 'B' and 'C'

Quantity of Maximum H. P. installed on any day	Ragis-tered under section 85 upto 9 workers	Maximum number of workers to be employed on any day during the year										
		From 10 to 20	From 21 to 50	From 51 to 100	From 101 to 250	From 251 to 500	From 501 to 750	From 751 to 1000	From 1001 to 1500	From 1501 to 2000	From 2001 to 5000	More than 5000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. More than 0 but not more than 10 H.P.	500	800	1200	1700	2000	4000	6000	6800	10000	13500	15000	20000
2. More than 10 but not more than 20 H.P.	700	1200	1700	2500	3400	5000	6800	8500	13500	15000	20000	25000
3. More than 20 but not more than 50 H.P.	800	1700	2500	3400	5000	6800	8500	12000	15000	20000	25000	30000
4. More than 50 but not more than 100 H.P.	1400	3400	5000	6800	8500	10000	12000	16000	20000	25000	30000	34000
5. More than 100 but not more than 250 H.P.	1700	5000	6800	8500	10000	12000	16000	20000	25000	30000	34000	37000
6. More than 250 but not more than 500 H.P.	2500	6800	8500	10000	12000	15000	20000	25000	30000	34000	37000	42000
7. More than 500 but not more than 750 H.P.	3400	8500	10000	12000	15000	20000	25000	27000	34000	37000	42000	44000
8. More than 750 but not more than 1000 H.P.	4000	10000	13500	15000	20000	22000	27000	30000	37000	40000	44000	47000
9. More than 1000 but not more than 2000 H.P.	8500	12000	15000	20000	24000	27000	30000	34000	40000	44000	47000	50000
10. More than 2000 but not more than 3000 H.P.	12000	14000	20000	24000	30000	37000	44000	50000	57000	64000	71000	78000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. More than 3000 but not more than 4000 H.P.	15000	20000	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000
12. More than 4000 but not more than 5000 H.P.	20000	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000	88000
13. More than 5000 H.P.	22000	27000	34000	40000	47000	54000	61000	68000	75000	81000	88000	95000

SCHEDULE "B"

Scale of fee payable for registration or renewal of the licence for Factories as may be difined in Section 2m (ii) of the Factories Act, 1948 except the Factories specified in the Schedule 'A' and 'C'

Maximum number of workers to be employed on any day during the year (1)	Fee payble in Rupees (2)
Upto 20	500
From 21 to 50	800
From 51 to 100	1400
From 101 to 250	1700
From 251 to 500	3400
From 501 to 1000	8500
From 1001 to 1500	11800
From 1501 to 2000	13500
More than 2000	17000

SCHEDULE "C"

Scale of fee payable for registration or renewal of Licence by all electricity generating (Including Transforming Stations) Factories.

Sl. No.	Total Installed Capacity (including transformation station) in M. W.	Maximum number of workers to be employed on any day during the year				
		Upto 100 workers.	From 101 workers to 250 workers	From 251 workers to 500 workers	From 501 workers to 1000 workers	More than 1000 workers
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Upto 20 M. W.	17000	20000	24000	27000	30000
2.	More than 20 M. W. but less than 50 M. W.	20000	24000	27000	30000	34000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	More than 50 M. W. but less than 100 M. W.	24000	27000	30000	34000	37000
4.	More than 100 M. W. but less than 250 M. W.	27000	30000	34000	37000	41000
5.	More than 250 M. W. but less than 500 M. W.	30000	34000	37000	41000	44000
6.	More than 500 M. W. but less than 1000 M. W.	34000	37000	41000	44000	47000
7.	More than 1000 M. W.	41000	44000	47000	51000	54000

(2) The fee prescribed in Schedules A, B, C for different categories of Factories shall come into force from 1st January, 2008 and after every three years there will be an increase in payable fee by 30% which shall be rounded off to the nearest multiple of 100.

This issues with the consent of Department of Finance vide their U. O. No. 285/15466/B-1/IV/2007, Dated 30-08-2007.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2007

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2008 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-98/दो-गृह 2007.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 21 जनवरी से 28 जनवरी, 2008 तक रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 21-01-2008

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न-पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)	(2)	(3)
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 21-01-2008	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 22-01-2008	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 22-01-2008

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

बुधवार, दिनांक 23-01-2008

20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व, के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण उर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 23-01-2008

25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	गुरुवार, दिनांक 24-01-2008	
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 25-01-2008	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 25-01-2008

(1)	(2)	(3)
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अ. जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

शनिवार, 26-01-2008 को शासकीय अवकाश (गणतंत्र दिवस)
रविवार, 27-01-2008 को शासकीय अवकाश

सोमवार, दिनांक 28-01-2008

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावें कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर को दिनांक 02-01-2008 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

क्रमांक/130/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	खैरकट्टा प. ह. नं. 28	2.60	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट, परियोजना संभाग-दुर्ग.	पुनारकसा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

क्रमांक/131/अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अरमुरकसा प. ह. नं. 20	4.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नवापारा जलाशय के अंतर्गत रपटा एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

क्रमांक/4029/प्र-1/अ.वि.अ./07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	बालोद	0.080	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट, परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा फीडर नहर में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-कबोंगा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	72/5	0.113
योग		0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- जैतपुरी गुरला मार्ग के कि. मी. 9/6 में गुरला नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-दहीकोंगा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/16	0.128
योग		0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े बंजोड़ा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/31	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग पर बने पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
542	0.024
531/1	0.040
528/2	0.109
170, 171	0.202
537	0.032
109	0.109
528/1	0.089
544/4	0.049
543/4	0.081
552/3	0.077
544/1	0.057
543/5	0.040
543/1	0.020
552/2	0.238
554/2 ग	0.036
554/5	0.032
553	0.105
554/2 घ	0.064
555/1	0.049
554/2 क	0.016
555/2	0.024
555/3	0.028
554/1	0.032
559/3	0.101
559/1	0.129
559/2	0.040
528/5	0.178
528/8	0.081
529	0.065
172/1	0.129
172/2	0.073
166/1	0.036
114	0.049
108/2	0.081
108/1	0.065
107/2, 101/2	0.008
107/1, 101/1	0.089
110	0.226
105	0.016
415/3	0.162
415/8	0.036
555/4	0.065
योग 42	3.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदेली करौंवाडीह मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th October 2007

No. 7527/I-7-3/2007 (Pt.-II).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare 22nd of October, 2007 as holiday for the Subordinate Courts of the State. Further, it is notified that in lieu of the same 17-11-2007, earlier notified as closed Saturday shall be working day for the Subordinate Courts.

By the order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक 164/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-03-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में माह अक्टूबर 2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक 165/दो-2-15/2005.—श्री सी. एल. एस. टेकाम, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2007

क्रमांक 166/दो-2-2/2006.—श्री बी. एल. तिड़के, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-02-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक 168/दो-2-7/2002.—श्री टी. के. झा, तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-07-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

क्रमांक 169/दो-2-7/2002.—श्री टी. के. झा, तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-04-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-07-2003 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.